डॉ. बी. राजेन्दर
भा० प्र० से०
अपर मिशन निदेशक

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना

पत्रांक– बि0प्र0सु0मि0सो0/विविध–21/2011 सो0....031.......दिनांक..14/01/2013

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

विषय– लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत दण्ड रूप में प्राप्त राशि को जमा करने हेतु निर्धारित शीर्ष/उपशीर्ष के संबंध में।

प्रसंगः– वित्त विभाग का पत्रांक 1322/वि., दिनांक 28.12.12

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा बिहार लोक सेवाओं का अधिकार नियमावली 2011 के नियम–16 के आलोक में दोषी लोक सेवकों से वसूली किये जाने वाले दण्ड की राशि को कोषागार में जमा करने से संबद्ध शीर्ष/उपशीर्ष के निर्धारण के संबंध में संसूचित किया गया है।

अनुरोध है कि उक्त के आलोक में दोषी लोक सेवकों से वसूली किये जाने वाले दण्ड की राशि को कोषागार में जमा करने की कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

BRajender 13.1.2013

(डा0 बी0 राजेन्दर)
अपर मिशन निदेशक

अनु0:–यथोक्त।

कार्यालयः– सिंचाई बैरक नं. –1 हार्डिंग रोड, पटना,–800015 फोनः–0612–2545191, फैक्स–0612–2215908
e-mail : amd.bpsm@gmail.com, web : www.bpsm.bih.nic.in

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी
01 JAN 2013
बिहार, पटना

पत्र सं0-अ0पा0-143/10.......1322......../वि0,

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

उदय सिंह कुमावत,
सचिव(व्यय) ।

सेवा में,

डा0बी0राजेन्दर,
अपर मिशन निदेशक,
बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी,
सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक-...28.12.2012...

विषय : लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत दण्ड रूप में प्राप्त राशि को जमा करने हेतु निर्धारित शीर्ष/उपशीर्ष के संबंध में ।

प्रसंग : बि0प्र0सु0मि0सो0/विविध-21/2011 सो.-1140 दिनांक-17.12.12.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रसंग पत्र के क्रम में कहना है कि बिहार लोक सेवा का अधिकार नियमावली, 2011 अन्तर्गत निदिष्ट प्रावधान के अनुरूप दण्ड के रूप में वसूली की जाने वाली राशि को सरकारी कोष में जमा करने हेतु वरीय लेखा अधिकारी, महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना के पत्र सं0-टी0एम0-उपशीर्ष-(12-13)-1214 दिनांक-26.10.12 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा मुख्य शीर्ष-0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, उपमुख्यशीर्ष-60 अन्य सेवाएं, लघुशीर्ष-800-अन्य प्राप्तियाँ के अन्तर्गत उपशीर्ष-0027-बिहार लोक सेवाओं का अधिकार नियमावली, 2011 अन्तर्गत दण्ड की राशि खोलने में सहमति प्रदान की है । इस निमित्त चालान के माध्यम से उपर्युक्त बजट शीर्ष-आर0-0070608000027 में राशि अंकित कर कोषागार में चालान पारित कराते हुए बैंक में जमा किया जायेगा । महालेखाकार कार्यालय, बिहार द्वारा खोले गये उपशीर्ष की प्रति विभागीय ज्ञाप सं0-1171 दिनांक-14.11.12(छायाप्रति संलग्न) द्वारा कोषागार पदाधिकारी, सभी कोषागार बिहार को उपलब्ध करा दी गयी है ।

अनु0 : यथोक्त ।

विश्वासभाजन

(*उदय सिंह कुमावत*)
सचिव(व्यय) ।

बजट/अरविन्द/1739

2503/AMD
31.12.12

02
01/01/2013

(99)

महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), BIHAR, PATNA

पत्रांक No. टी0एम0-उप शीर्ष-(12-13)-1214
दिनांक Dated 26-10-2012

सेवा में,

सचिव (व्यय),
वित्त विभाग,
बिहार सरकार, पटना ।

विषयः- मुख्य शीर्ष-0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, उप मुख्य शीर्ष-60-अन्य सेवाएं, लघुशीर्ष-800-अन्य प्राप्तियां के अंतर्गत उपशीर्ष-0027-बिहार लोक सेवाओं का अधिकार नियमावली, 2011 अन्तर्गत दंड की राशि खोलने में सहमति ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय में आपके विभागीय पत्रांक-862 दिनांक 16.08.2012 द्वारा बिहार लोक सेवा का अधिकार नियमावली, 2011 अन्तर्गत दंड की राशि के लिए उपशीर्ष खोलने हेतु मुख्य शीर्ष-0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं के अन्तर्गत लघुशीर्ष-800-अन्य व्यय के स्थान पर किसी अन्य संगत लघुशीर्ष में खोलने का अनुरोध किया गया । जिसके संदर्भ में इस कार्यालय के पत्रांक-881 दिनांक 24.08.2012 द्वारा संगत लघुशीर्ष खोले जाने हेतु महालेखा नियंत्रक कार्यालय, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, भारत सरकार से वित्त विभाग, बिहार सरकार से अपने स्तर से पत्राचार करने का परामर्श दिया गया ।

पुनः उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-981 दिनांक 19.09.2012 द्वारा सूचना के अधिकार, लेखांकण कार्य, महालेखा नियंत्रक कार्यालय, भारत सरकार से संगत लघुशीर्ष के निदान प्राप्ति में लगने वाले समय आदि कारणों से मुख्य शीर्ष-0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं के अन्तर्गत उपशीर्ष खोलने का अनुरोध किया गया है । साथ ही, इस कार्यालय से संगत लघुशीर्ष के लिए महालेखा नियंत्रक कार्यालय, भारत सरकार से संपुष्टि प्राप्त करने का भी अनुरोध किया गया । इस संबंध में निदेशानुसार यह कहना है कि लघुशीर्ष खोलने के संबंध में कार्रवाई सीधे वित्त विभाग द्वारा ही किया जाना है ।

अतएव आवश्यक प्रस्ताव अपने विभागीय स्तर से महालेखा नियंत्रक कार्यालय, भारत सरकार को यथाशीघ्र भेजा जाय, जिसकी सूचना इस कार्यालय को दी जाय ।

अतएव, उपर्युक्त लघुशीर्ष खुलने तक महालेखाकार (लेखा एवं हक0), बिहार, पटना ने मुख्य शीर्ष-0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, उप मुख्य शीर्ष-60-अन्य सेवाएं, लघुशीर्ष-800-अन्य प्राप्तियां के अंतर्गत उपशीर्ष-0027-बिहार लोक सेवाओं का अधिकार नियमावली, 2011 अन्तर्गत दंड की राशि खोलने में सहमति प्रदान की है ।

कृपया पत्र की पावती दें ।

भवदीय,

वरीय लेखा अधिकारी
बिहार, पटना ।

कृ० पृ० उ०